...लय उपखण्ड अधिकारी, नैनवाँ जिला बून्दी(राज0)

...-पत्र संख्या :–118 / 2021

दायर दिनांक 05.08.2021

...CMS NO:- 2021/216

पीठासीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

1. राजेन्द्र पुत्र देवीलाल जाति माली निवासी समीधी तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।
2. मनोज पुत्र देवीलाल जाति माली निवासी समीधी तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।

–प्रार्थीगण

बनाम

भू–स्वामी जयें तहसीलदार साहब नैनवां जिला बून्दी।

–प्रत्यार्थी

वाद पत्र:– अंतर्गत धारा 251 ए आर.टी एक्ट

उपस्थिति–

प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी

निर्णय दिनांक 29.10.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम समीधी पटवार मण्डल समीधी तहसील नैनवां में प्रार्थी के खातेदारी व कब्जे की भूमि खाता संख्या 597 खसरा संख्या 782 गै0मु0 मकान रकबा 0.0485 हैक्टेयर, खसरा संख्या 783 रकबा 0.0324 है0 व खसरा संख्या 801 रकबा 0.2508 है0 भूमि स्थित है। यह कि ग्राम समीधी पटवार मण्डल समीधी तहसील नैनवां में सरकारी सिवायचक भूमि खाता संख्या 1 खसरा संख्या 776 रकबा 0.2832 है0 व खसरा संख्या 781 रकबा 0.1214 है0 भूमि स्थित है। यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमियों के सहखातेदार गीता बाई पत्नी देवीलाल, बंटी बाई, मंजू बाई व रेखा बाई पुत्रियान देवीलाल ने अपना हिस्सा प्रार्थीगण को जर्ये रजिस्टर्ड हक परित्याग–पत्र प्रार्थीगण के पक्ष में रिलीज कर दिया है। तथा सहखातेदार छगना, छोटू, नेमीचंद, मगना व लट्टूर पि0 धन्ना जाति माली ने अपने हिस्से के सम्पूर्ण हिस्से को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय–क्रय प्रार्थीगण के पक्ष में हस्तान्तरित कर दिया है। यह कि प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जे की भूमि खाता संख्या 597 खसरा संख्या 782 गै0मु0 मकान रकबा 0.0485 हैक्टेयर, खसरा संख्या 783 रकबा 0.0324 है0 व खसरा संख्या 801 रकबा 0.2508 है0 भूमि में आने जाने व गाडी बेल, ट्रेक्टर–ट्रोली व कृषि उपज लाने के लिये एक मात्र सरकारी रास्ते खसरा संख्या 777 जिस पर समिधी से इन्द्रगढ जाने वाले पक्की सडक बनी हुई है। उस पर से खसरा संख्या 776 व 781 में होकर अपने मकान जो खसरा संख्या 782 में बना हुआ है पर आते जाते है। उसके बाद प्रार्थीगण अपनी अन्य कृषि भूमि खसरा संख्या 783 व 801 में जाते है जोकि 20 फीट चौडा रास्ता था। जिसे परिशिष्ट "अ" में अ से ब बिन्दू के मध्य लाल लाईनों से दर्शाये गया हैं। जिसका उपयोग व उपभोग प्रार्थी सदैव से करता चला आ रहा है। यह कि उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के खाते की जमीन पर आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। यह कि रास्ता नक्शा ट्रेस में अंकन नहीं होने के कारण प्रत्यार्थीगण प्रार्थी को उक्त रास्ते में होकर निकलने से मना करने लगे व लडाई झगडा करने को तैयार हो गये । यह प्रार्थना पत्र का कारण है। अतः प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थीगण को अपने खाते की भूमि पर आने जाने व कृषि ... 20 फिट चौडा रास्ता राजस्व रिकॉर्ड एवं नक्शा में कायम करवाया जाना आवश्यक है। जिसका ... नियमानुसार जमा करवाने को तैयार

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:20:48 IST
Reason: SelfAttested

श्योराम
उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Scanned with CamScanner

...ण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में परिशिष्ट अ ,नकल जमाबंदी, नकल नक्शा ट्रेस, रजिस्टर्ड ...पत्र, रजिस्टर्ड रिलीजड तथा शपथ–पत्र आदि पेश किये।

... रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार नैनवां से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसके अनुसार प्रार्थीगण ...ारा भूमि खसरा संख्या 776 व 781 में से रास्ता चाहा गया है। प्रार्थीगण की भूमि तक पहुंचने हेतु अन्य कोई रास्ता रिकार्ड में दर्ज नही है। अतः इसके लिए रास्ता सिवायचक भूमि के खसरा संख्या 776 रकबा 0.2832 है0 में से 125 फीट • 20 फीट = 2500 वर्गफीट तथा खसरा संख्या 781 रकबा 0.1214 है0 में से 53 फीट • 20 फीट = 1060 वर्गफीट अर्थात कुल 3560 वर्गफीट = 0.0331 है0 भूमि दिया जाना प्रस्तावित है जो प्रार्थीगण की भूमि में पहुंचता है। यह कि प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है।

हमने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज एवं रास्ता रिपोर्ट तहसीलदार नैनवां का अवलोकन किया। पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प कोर्ट समिधी में पेश हुई। उपस्थित पक्षकारान की प्रार्थना पत्र में बहस सुनी गयी। प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तहसीलदार नैनवां ने भी अपने जवाब/रिपोर्ट में प्रार्थी को प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता दिया जाना उचित बताया है। ग्राम समीधी पटवार मण्डल समीधी तहसील नैनवां में प्रार्थी के खातेदारी व कब्जे की भूमि खाता संख्या 597 खसरा संख्या 782 गै0मु0 मकान रकबा 0.0485 हैक्टेयर, खसरा संख्या 783 रकबा 0.0324 है0 व खसरा संख्या 801 रकबा 0.2508 है0 भूमि पर पहुंचने के लिए सिवायचक भूमि के खसरा संख्या 776 रकबा 0.2832 है0 में से 125 फीट • 20 फीट = 2500 वर्गफीट तथा खसरा संख्या 781 रकबा 0.1214 है0 में से 53 फीट • 20 फीट = 1060 वर्गफीट अर्थात कुल रकबा 3560 वर्गफीट = 0.0331 है0 सिवायचक भूमि का प्रस्तावित रास्ता, जिसे परिशिष्ट "क" में लाल स्याही से द्वारा अंकित किया गया है, के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। जितनी भूमि रास्ते के उपयोग में आयेगी उतनी भूमि की कीमत का नियमानुसार प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरान्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किया जावे। नक्शा परिशिष्ठ को परिशिष्ठ 'क' नाम दिया गया है जो न्यायालय निर्णय का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि मौके पर रास्ता बहाल कर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवा

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बूंदी)

उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बूंदी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:20:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner